पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 22 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्तार।

दिनांक 07–01–2023

दिनांक 06/07–01–2023 को रात्रि थाना कैण्ट 04, थाना चिनहट 05, थाना गाजीपुर 01, थाना गोमतीनगर विस्तार 01, थाना हसनगंज 01, थाना पारा 05, थाना सआदतगंज 03, थाना ठाकुरगंज 02 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना चिनहट 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 22 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना इन्दिरानगर–दिनांक 07.01.2023 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र स्व0 श्री राज बख्स सिंह निवासी मकान नं0 23, वैशाली इन्क्लेव विस्तार, निकट सेक्टर 09 थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 22.12.2022 को दोपहर करीब 12.00 बजे वादी सपरिवार झांसी अपने साढू के यहां गया था। दिनांक 05.01.2023 को समय करीब 07.00 बजे जब वादी अपने उपरोक्त आवास पर वापस आया तो देखा कि वादी के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था व आलमारी के सभी ताले टूटे हुए थे, और घर का सारा सामान अस्त–व्यस्त पड़ा था। सब चीजें देखने के बाद वादी को यह प्रतीत हुआ कि उसके घर में घुसकर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी के पड़ोसी श्री श्रीवास्तव जी के मकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिनांक 02.01.2023 को समय करीब 02.20 बजे रात्रि में दो अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 20 से 25 वर्ष मोटरसाइकिल द्वारा वादी की गली में आते दिखायी दिये। कुछ समय बाद समय करीब 02.26 बजे एक लड़का पुनः आता हुआ दिखाई दिया जिसके हाथ में कुछ थैली जैसी चीज थी, वह पुनः समय करीब 03.15 बजे रात्रि को वादी के निवास की तरफ वापस भागता हुआ दिखाई दिया। अज्ञात चोरों द्वारा वादी के उक्त घर में घुसकर आलमारी में रखे कीमती जेवरात व 65 हजार रूपये नगदी को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 12/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सैरपुर–दिनांक 07.01.2023 को थाना सैरपुर द्वारा बताया गया कि वादी श्री मेराज खान पुत्र श्री शकील अहमद निवासी–ग्राम ननसोहा थाना रामकोट जनपद सीतापुर, हालपता मुस्लिम नगर थाना जानकीपुरम लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि वादी की गाड़ी धुलाई करने की दुकान एम0के0 सर्विस सेंटर सेवा हॉस्पिटल के सामने सीतापुर रोड थाना सैरपुर लखनऊ में स्थित है। दिनांक 06.01.2023 को समय करीब 06.00 बजे से 07.00 बजे सांय के बीच वादी की उक्त दुकान पर आशीष सिंह पुत्र अज्ञात अपने 03 अन्य साथियों के साथ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी धुलाने के लिए आये थे। गाड़ी धुलाने के बाद जब वादी के छोटे भाई ने गाड़ी धुलाई का पैसा मांगा तो आशीष सिंह पुत्र अज्ञात निवासी–ग्राम अजनहर थाना जानकीपुरम लखनऊ जिसका कार्यालय वादी की दुकान के नजदीक है, गाली देने लगे और जब वादी ने गाली देने को मना किया तो आशीष सिंह उपरोक्त ने अपने कमर से पिस्टल निकालकर वादी के पिता शकील अहमद के ऊपर जान से मारने की नीयत से 02 से 03 फायर झोंक दिया लेकिन निशाना चूक जाने के कारण वादी के पिता बाल–बाल बच गये, तब आशीष सिंह के साथ 03 अन्य अज्ञात लोगों ने वादी के ऊपर हमला कर दिया जिससे वादी की दाहिनी आंख के नीचे डण्डे की चोट से फट गया और वादी को काफी चोटें आयीं। वादी के पिताजी और भाई जब चिल्लाने लगे तो ये उक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। **इस सूचना पर थाना सैरपुर पर मु0अ0सं0 001/2023 धारा 307/323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**